राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक : प.3(5)देव/2013 जयपुर, दिनांक 30.11.2016

संभागीय आयुक्त(समस्त)

जिला कलेक्टर(समस्त)

परिपत्र

राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देशभर के 13 निर्दिष्ट स्थानों हेतु तीर्थ यात्रा करवायी जानी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016 के सफल क्रियान्वयन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(19)प्र.सु. /अनु. 3/2014 दिनांक 09.12.2014 द्वारा यात्रियों के जिला स्तर पर चयन एवं समुचित प्रबन्ध व्यवस्था हेतु जिले के प्रभारी मंत्री/शासन सचिव की उपस्थिति में जिला कलेक्टर समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष लगभग 10000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 70 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को हवाई यात्रा भी करवाना प्रस्तावित है। जिसका जिलेवार आवंटन संलग्न है।

योजना से संबंधित विभिन्न स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के बिन्दु निम्नानुसार है:–

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016 के लिये कार्यवाही बिन्दु :–

1. **संभागीय आयुक्त स्तर :–**

   1. संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स द्वारा योजना की सफल क्रियान्विति हेतु की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण व समीक्षा (Supervision and Monitoring) करना एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।
   2. प्रत्येक ट्रेन हेतु यथासंभव 50 वर्ष से कम एवं शारीरिक रूप से लम्बी रेल यात्रा हेतु सक्षम एक राजपत्रित अधिकारी को ट्रेन प्रभारी से समन्वय स्थापित कर सुगम रूप से यात्रा सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
   3. प्रत्येक ट्रेन हेतु एक राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं दो नर्सिंगकर्मी की नियुक्ति करना तथा उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा व मौसमी बीमारियों के लिए आवश्यक किट एवं दवाईयों की व्यवस्था करना।
   4. प्रत्येक ट्रेनवार यथासंभव 50 वर्ष से कम एवं शारीरिक रूप से लम्बी रेल यात्रा हेतु सक्षम 40 अनुरक्षकों (30 सक्रिय 10 आरक्षित) की दिनांक 16.12.2016 तक नियुक्ति करना। यह अनुरक्षक मंत्रालयिक संवर्ग /शिक्षक ग्रेड–।।।/शारीरिक शिक्षक/पटवारी/ग्राम सेवक एवं उनके समकक्ष ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारी में से होंगे।

2. **जिला कलेक्टर स्तर :–**

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 6(19) प्र.सु./अनु.–3/2014 जयपुर दिनांक 09.12.2014 द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करना। बैठक कार्यवाही विवरण सचिव, देवस्थान, संभागीय आयुक्त एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग को प्रेषित करना।

2. इस योजना हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करना एवं इसकी सूचना सचिव, देवस्थान, संभागीय आयुक्त, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उपखण्ड अधिकारी तथा संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान को देना।

3. समस्त तीर्थयात्रियों का मेडिकल चेकअप गहनता पूर्वक करवाने की व्यवस्था करना।

4. योजना एवं समय सारणी के अनुसार संबंधित अधिकारी का पता, मोबाईल नम्बर, आवेदन स्थल आदि का प्रचार–प्रसार करना।

5. निर्धारित ई–मित्र/ऑनलाईन द्वारा प्राप्त आवेदकों का सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से लॉटरी निकला कर यात्रियों का चयन करना एवं चयनित यात्रियों की सूची जारी करना।

3. **सहायक आयुक्त देवस्थान स्तर :–**

1. कलेक्टर कार्यालयों से प्राप्त चयनित यात्रीगण की गंतव्य स्थानवार सूची बनाना, जिसका निम्न प्रारूप रहेगा :–

पंजीयन क्रमांक	नाम यात्री	पिता/पति का नाम	लिंग	उम्र	मतदाता पहचान पत्र क्रमांक	यात्रियों की संख्या (1/2)	सहयात्री का नाम (यदि यात्रियों की संख्या 2 है)	यात्री से संबंध जीवनसाथी/सहायक	फोन नं.	पता	तीर्थ स्तर का प्रथम वरीयता	तीर्थ स्थल की द्वितीय वरीयता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. प्रत्येक रेलवार संभागीय आयुक्त के स्तर से राजपत्रित अधिकारी/चिकित्सा कर्मी/कार्मिक की नियुक्ति करना। उक्त सूची प्रत्येक संभाग से संभावित ट्रेनों की सूची ट्रेन रवानगी से 10 दिवस पूर्व तक बनवाना।

3. प्रत्येक ट्रेन के साथ निम्न अधिकारी/कार्मिक जाएंगे :–

   1. राजपत्रित अधिकारी – 1
   2. चिकित्सा अधिकारी – 2
   3. नर्सिंग कर्मी – 2
   4. अनुरक्षक (कर्मचारी) – 30
   5. सुरक्षा कर्मी – 4 + 1

4. आयुक्त, देवस्थान एवं IRCT Co. को दिनांक 10.12.2016 तक चयनित यात्रियों की सूची गन्तव्य स्थानवार उपलब्ध कराना। उक्त चयनित व्यक्तियों को यात्रा की तिथि

एवं प्रस्ताव स्थान की सूचना उपलब्ध कराना। संभागीय मुख्यालय से यात्रा ट्रेन रवाना करवाना। सभी चयनित यात्रियों में से उपस्थित/अनुपस्थित की सूचना आयुक्त, देवस्थान को देना।

5. ट्रेन प्रभारी/चिकित्सा अधिकारी/अनुरक्षकों से निरन्तर दूरभाष से संपर्क बनाये रखना एवं यात्रा में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई बाबत् मुख्यालय व आई. आर.सी.टी.सी. के अधिकारियों को अवगत कराकर निराकरण कराना।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की गतिविधियों का कलेण्डर :–

क्र.सं.	गतिविधियां	तिथि
1	आवेदन पत्र ई–मित्र/ऑनलाईन द्वारा भरवाना प्रारम्भ	
2	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	
3	ट्रेन प्रभारी चिकित्सा प्रभारी, नर्सिंग स्टाफ, अनुरक्षकों का चयन	
4	यात्रियों का जिला स्तर पर लॉटरी द्वारा चयन	
5	चयनित यात्रियों को प्रस्थान की सूचना	
6	प्रथम यात्री गाड़ी रवानगी (संभावित)	

आपसे अपेक्षा है कि इन दिशा निर्देशों की सभी स्तर पर समुचित पालना सुनिश्चित करवाई जाकर योजना को सफल बनायेंगे।

शासन सचिव, देवस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री (समस्त जिला प्रभारी मंत्रीगण)।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त जिला प्रभारी सचिव)।
5. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
6. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग।

शासन सचिव, देवस्थान